न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :– 43/2022

उनवान

गायत्री देवी पत्नी श्री मुरारीलाल अग्रवाल, जाति महाजन, उम्र व्यस्क, निवासी शाहपुरा मयूरा होटल के पास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

वादीया

बनाम

1. छिम्मा देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद जाट, जांति जाट, उम्र–व्यस्क, निवासी शाहपुरा, केर की चौकी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. बंशीधर पुत्र श्री काना, जाति जाट, उम्र–व्यस्क, निवासी शाहपुरा, केर की चौकी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (हाल परिवर्तित नाम पंजाब नेशनल बैंक) जरिये शाखा प्रबन्धक शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक 10/10/2022

वकील वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट के तहत पेश किया गया कि आराजी खसरा नं0– 5178/0.84 है0 कुल किता–1 रकबा 0.84 है0 वाकै ग्राम–शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, भु0अभि0नि0 क्षेत्र–शाहपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी में वादीया का 25/42 हिस्सा,, प्रतिवादीया सं0–1 का छिम्मा देवी 5/42 हिस्सा, प्रतिवादीया सं0–2 बंशीधर का 2/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है । जमाबन्दी सं0– 2074–2077 खाता सं0– 512 संलग्न वाद पत्र पेश है। वादपत्र में दर्ज भूमि पर उक्त खातेदार दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजी भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। विवादित भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है वादीया व प्रतिवादीया सं0– 1 व 2 का वर्तमान में उक्त भूमि पर शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने वादीया के खिलाफ नाजायज संगठन बनाकर भूमि के कब्जे काश्त में अडचन पैदा करने व विवादित मुतनाजा के उपजाऊ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियों के पक्ष में करने को आमादा है। वादपत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादीया व प्रतिवादीगण की शामलाती सम्पत्ति मुतनाजा है प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि का कानूनी बंटवारा किए बगैर ही बेचान कर निर्माण कार्य करवाने को आमादा है। वादपत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का कानूनी बंटवारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदारों के कब्जे काश्त के आधार पर किया जाकर लगान निर्धारित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है । प्रतिवादी सं0 4 राजस्थान सरकार भूमिधारी है उक्त मुकदमा बंटवारे का होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के नाते पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादीया सं0– 5 ने उक्त प्रकरण की विवादित भूमि पर ऋण दे रखा है इसलिए उक्त बैंक का हित निहित होने के कारण इन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

अतः वादपत्र वादी की ओर से दो प्रतियों में मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एक निर्णय मय डिकी वाद बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे कि वादपत्र में वर्णित भूमि हाल आराजी खसरा नं0–5178/0.84 है0 कुल किता–1 रकबा 0.84 है0 वाकै ग्राम–शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, भू.अभि.नि. क्षेत्र–शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का वादीया व तथा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के मध्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमों के मुताबिक कानूनी बंटवारा करवाया जाकर राज लगान अलग–अलग निर्धारित किया जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे। प्रतिवादीगण को हमेशा–हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीया हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा दखलअंदाजी पैदा नहीं करे वादीया को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे व जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे तथा उक्त आराजी मुतनाजा पर कोई कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करे व राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर र्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी की गई। तिवादीगण की ओर कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में दिनांक 6.6.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र क्रमांक /भू0अ0/ 3052 दिनांक 23.8.2022 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर वकील वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया । हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन करने पर सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बरान 5178 रकबा 0.84 है0 भूमि का खातेदार/पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :-

1 गायत्री देवी वादिया के आराजी खसरा नम्बर 5178/1 रकबा 0.5613 है0 भूमि रहेगी ।
2 छिम्मादेवी प्रतिवादिया सं0 1 के आराजी खसरा नम्बर 5178/3 रकबा 0.0922 है0 भूमि रहेगी ।
3 बंशीधर प्रतिवादी सं0 2 के आराजी खसरा नम्बर 5178/4 रकबा 0.02215 है0 भूमि रहन ऑरियन्टल बैंक कार्मस शाखा शाहपुरा रहेगी ।
4 आराजी खसरा नम्बर 5178/2 रकबा 0.0650 है0 गै0मु0 रास्ता वादिया गायत्री देवी हि0 387/650, छिम्मादेवी प्रतिवादिया सं0 1 का हि0 78/650 व बंशीधर प्रतिवादी सं0 2 का हि0 185/650 रहेगा ।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/10/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :– 43 / 2022

उनवान

1 गायत्री देवी पत्नी श्री मुरारीलाल अग्रवाल, जाति महाजन, उम्र व्यस्क, निवासी शाहपुरा मयूरा होटल के पास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

वादीया

बनाम

1 छिम्मा देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद जाट, जाति जाट, उम्र–व्यस्क, निवासी शाहपुरा, केर की चौकी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2 बंशीधर पुत्र श्री काना, जाति जाट, उम्र–व्यस्क, निवासी शाहपुरा, केर की चौकी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (हाल परिवर्तित नाम पंजाब नेशनल बैंक) जरिये शाखा प्रबन्धक शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक 10/10/2022

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बरान 5178 रकबा 0.84 है0 भूमि का खातेदार / पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. गायत्री देवी वादिया के आराजी खसरा नम्बर 5178 / 1 रकबा 0.5613 है0 भूमि रहेगी ।
2 छिम्मादेवी प्रतिवादिया सं0 1 के आराजी खसरा नम्बर 5178 / 3 रकबा 0.0922 है0 भूमि रहेगी ।
3 बंशीधर प्रतिवादी सं0 2 के आराजी खसरा नम्बर 5178 / 4 रकबा 0.02215 है0 भूमि रहन ऑरियन्टल बैंक कार्मस शाखा शाहपुरा रहेगी ।
4 आराजी खसरा नम्बर 5178 / 2 रकबा 0.0650 है0 गै0मु0 रास्ता वादिया गायत्री देवी हि0 387 / 650, छिम्मादेवी प्रतिवादिया सं0 1 का हि0 78 / 650 व बंशीधर प्रतिवादी सं0 2 का हि0 185 / 650 रहेगा ।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज तारीख 10/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	